प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 121/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 9) का कार्यान्वयन

नई दिल्ली, 3 दिसंबर, 2019 – भादूविप्रा ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) विनियम 2009 (2009 का 8) के प्रमुख विनियमों के लिए 13 दिसंबर 2018 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018, जारी किया था। संशोधित एमएनपी प्रक्रिया को 16 दिसंबर, 2019 से लागू किया जाएगा।

2. इन संशोधित विनियमों के माध्यम से यूनिक पोर्टिंग कोड (यूपीसी) जनरेट करने की प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रावधान किया गया है। पोर्टिंग के लिए पात्रता शर्तों की पूर्व–वैधता मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता (एमएनपीएसपी) द्वारा यूपीसी को जनरेट करने का निर्धारण करेगी। यह नए फ्रेमवर्क में निर्बाध पोर्टिंग सुनिश्चित करेगा, जिससे पोर्टिंग प्रक्रिया तेज और मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होगी। नई प्रक्रिया के अनुसार यूपीसी की वैधता जम्मू एवं कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर, जहां यूपीसी की वैधता अभी भी 30 दिनों की होगी, को छोड़कर सभी लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों (एलएसए) के लिए 4 दिनों की होगी।

3. इंट्रा–लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (इंट्रा–एलएसए) प्रकृति के व्यक्तिगत पोर्टिंग अनुरोधों को 3 कार्य दिवसों में पूरा किया जाएगा; जबकि इंटर–लाइसेंस सेवा क्षेत्र (इंटर–एलएसए) प्रकृति और कॉर्पोरेट श्रेणी (इंट्रा–एलएसए और इंटर–एलएसए सहित) के तहत सभी पोर्टिंग अनुरोध 5 कार्य दिवसों में पूरे किए जाएंगे।

4. नए विनियमों के लिए कट–ओवर 16 दिसंबर, 2019 के 00:00:00 बजे से प्रभावी होगा। वर्तमान एमएनपी प्रक्रिया में, मोबाइल उपभोक्ता एमएनपी जनरेट कर सकते हैं और अपने पोर्ट अनुरोध अपनी पसंद के ऑपरेटर को 9 दिसंबर, 2019 के 17:59:59 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

5. 9 दिसंबर, 2019 के 17:59:59 बजे तक प्रस्तुत किए गए मोबाइल उपभोक्ताओं के पोर्टिंग अनुरोध निर्धारित समय के भीतर पूरे किए जाएंगे। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और एनएनपीएसपी द्वारा वर्तमान प्रक्रिया से नई एमएनपी प्रक्रिया में जाने के कारण, उपभोक्ताओं के लिए एमएनपी की सुविधा 10 दिसंबर, 2019 से 15 दिसंबर, 2019 के दौरान उपलब्ध नहीं होगी। उपभोक्ता संशोधित एमएनपी प्रक्रिया में माइग्रेशन के बाद नई यूपीसी जनरेट कर सकते हैं, जो 16 दिसंबर, 2019 के 00:00:00 बजे से शुरू होगी।

6. नई प्रक्रिया में प्रस्तावित माइग्रेशन के दृष्टिगत, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा जागरूकता पैदा करने और मोबाइल उपभोक्ताओं को जानकारी देने के लिए अपनी वेबसाइट, कॉल सेंटर, बिक्री केन्द्रों और अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक पेज, टिवटर हैंडल आदि के माध्यम से जरूरी कदम उठाए जाएंगे ताकि अपने नंबर पोर्ट कराने के इच्छुक उपभोक्ताओं को असुविधा का सामना न करना पड़ें।

8. किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री एस. टी. अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम व लाइसेंसिंग) से टेलीफोन नंबर +91–11–23210481, फैक्स नंबर +91+11–23232677 द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।